न्यायालय उपखण्डाधिकारी अधिकारी राजस्व नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 374 सन 2018

अनवान :–

1. दुर्गा पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. पार्वती पत्नी कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. सती पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
3. निर्मला पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. ईशवरी पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
5. कमला देवी पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
6. वीरा उर्फ हीना पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
7. नितू पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
8. उषा उर्फ रेणू पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
9. पार्वती उर्फ तनूजा पुत्री कन्हैयालाल जाति सिन्धी तोलानी निवासी वार्ड न0 10 नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

उपस्थित : श्री हरीसिह सिहाग अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 31.12.18

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट पेश कर निवेदन किया की रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 237 की 10.6230हैक भूमि वादिया के पिता कन्हैयालाल की खातेदारी भूमि थी जो कन्हैयालाल के मृत्यू के बाद उनके जायज वारिसान प्रतिवादीया संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई थी किन्तु कन्हैयालाल की मृत्यू के बार अमला माल ने बिना जांच किये कन्हैयालाल की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज कर दी जबकि वादीया का भी उक्त भूमि में बराबर का हक हिस्सा था क्योकि वादीया भी कन्हैयालाल की पुत्री है उसका नाम भी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ दर्ज किया जाना चाहिये था वादीया अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 237 की 10.6230हैक भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं प्रतिवादी संख्या 6 ,8 ,9 का नाम राजस्व रिकार्ड में बीरा उर्फ हीना , उषा उर्फ रेणु तथा पार्वती उर्फ तनुजा दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वाादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीण्गा को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादीया के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में उनके पिता कन्हैयालाल के नाम से दर्ज थी कन्हैयालाल का देहान्त हो गया है उसके जायज वारिसान

वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है इसलिये वाद भूमि उनके जायज वारिसान वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी सहवन से वादिया का नाम दर्ज नही हुआ है जिसे अब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया ।

हमने वकील वादी का सुना गया वाद भूमि पूर्व में कन्हेयालाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज थी कन्हैयालाल का देहान्त हो चुका है तथा कन्हैयालाल के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादीगण है जो प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र से साबित है कन्हैयालाल के देहान्त होने पर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से दर्ज है वादीया का नाम दर्ज नही किया गया है जिसे दर्ज करवाने के लिये वादीया ने वाद पेश किया गया है वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की कन्हेयालाल के जायज वारिसान वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है तथा वाद भूमि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी सहवन से वादीया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया जा सका है जिसे अब राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता हे तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

इसप्रकार वादीया के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा स्वीकार किये जाने के कारण वाद वादीया साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा अरडकी के खसरा न0 237 की 10.6230हैव भूमि में वादीया एव्र प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 6 ,8 ,9 का नाम वीरा उर्फ हीना व उषा उर्फ रेणु तथा पार्वती उर्फ तनुजा दर्ज किया जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

S.M. Zaidi

(सैयद शीराज अली जैदी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official